न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास डॉ0अमित यादव,आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -311/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर -2022/409

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
1. अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल हकीम जाति तेली मुसलमान 2. चान्द मोहम्मद पुत्र अब्दुल हकीम जाति तेली मुसलमान निवासीगण अजमेरी गेट के बाहर, वन विभाग के पास, नागौर		1. तहसीलदार नागौर 2. पटवारी हल्का, नागौर

उपस्थितिः-

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास एवं श्री ओम प्रकाश गौड़
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय :: दिनांक :-13.09.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 132/2022 सरकार बनाम अब्दुल रसीद वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील बहुत ही ठोस बिनाय पर आधारित होने से अपीलान्ट को उसमें कामयाबी मिलने का पूरा विश्वास है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.06.2022 को अपीलान्ट ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया। इसके बाद आगामी तारीख पेशीयों पर पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त रहे। अधीनस्थ न्यायालय के रीडर ने अपीलान्ट अधिवक्ता को बताया गया कि अग्रिम कार्यवाही बाबत आपको सूचना दे दी जायेगी, तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता को सूचना दिये बिना ही दिनांक 10.08.2022 को बिना अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुने, अपीलान्ट व अपीलान्ट अधिवक्ता की अनुपस्थिति में आदेश जैर अपील पारित कर दिया। इस कारण अपीलान्ट को आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अभी दिनांक 31.08.2022 को जब अपीलान्ट अधिवक्ता प्रकरण की तारीख पेशी पता करने गये, तब अपीलान्ट व अपीलान्ट अधिवक्ता को आदेश जैर अपील की जानकारी हुई। तब उसी दिन नकल आवेदन कर, आदेश जैर अपील की नकले दिनांक 01.09.2022 को प्राप्त की। न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत होने का कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं मयाद प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र के साथ स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का नागौर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि अ. रसीद, चांद मो. तेली पुत्रगण अ. हकीम जातियान तेली मुसलमान निवासी नागौर तहसील व जिला नागौर ने मौजा नागौर के खसरा नं.592/906 रकबा 3000 वर्गफीट किस्म गै.मु. अंगोर भूमि पर संवत् 2079 पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को राजस्थान भू

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामिल सुदा शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी मय वकील उपस्थित होकर जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2022 को अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली व जुर्माने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जिस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दौरान कार्यवाही हल्का पटवारी के एवं अपीलांट के बयान दर्ज नहीं करवाये तथा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु एक भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है,जो सम्पूर्ण कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरीत व नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्धांतों के विपरीत जैर अपील निर्णय पारित किया गया होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध संवत् 2079 में नागौर के खसरा नं. 592/906 के रकबा 3000 वर्गफुट पर अतिचार की मिथ्या रिपोर्ट पेश करके गलत नोटिस प्रेषित करवाया है। जबकि अपीलान्ट नागौर का स्थाई निवासी है जिनका कब्जा सुदा व अभिभोग की भूमि मय मकान, चारदीवारी खुली के रूप में आवासीय मकान कदीमी समय से रहता चला आया है। जिसमें कमरा, बरामदा, रसोई, लेटबाथ बने हुऐ है एवं जिसमें अपीलान्ट के नाम से विद्युत कनेक्शन व पानी कनेक्शन भी लिया हुआ है। उक्त जायगा वन विभाग के पास नागौर में स्थित है तथा जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्गफुट है। उक्त मकान अपीलान्ट के कब्जा सुदा जायगा रही है। जिसका निरंतर उपयोग उपभोग अपीलान्ट व उसके परिवार द्वारा किया जा रहा है। इस कारण हाल ही में कृषि वर्ष संवत् 2079 में अतिचार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किए जो निर्णय जैर अपील पारित किया है वह काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये नोटिस की जायगा नगरपरिषद,नागौर के क्षेत्र की आबादी की भूमि है। उक्त जायगा नगरपरिषद की सीमा क्षेत्र में आई हुई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को इस भूमि बाबत धारा 91आर.एल.आर.एक्ट की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलान्ट व उनके परिवार की कब्जा सुदा, उपयोग उपभोग निवास के प्रयोजनार्थ एकमात्र जायगा है, उक्त जायगा के अलावा अपीलान्ट के पास अन्य कोई जायगा नहीं है। उक्त जायगा से अपीलान्ट को गैर कानूनी रूप से बेदखल किया जाता है तो अपीलान्ट व उसके परिवार के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी, का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण सं. 132/2022 में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 को निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपेरोकार ने बहस में यह कथन किया कि प्रश्नगत भूमि कि किस्म गै0मु0 अंगोर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं तथा गै0मु0 अंगोर की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का इस भूमि पर अतिकमी मानते हुवे बेदखल व जुर्माना का जो आदेश पारित किया हैं,वह आदेश विधिवत हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

राजपेरोकार ने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज0राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की प्रति पेश कर अंगोर भूमि पर किये गये अतिकमण को हटाये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि पटवारी हल्का,नागौर द्वारा गैर सायल के विरूद्ध मौजा नागौर के खसरा नम्बर 592/906 रकबा 3000 वर्गफीट किस्म भूमि गै0मु0 अंगोर भूमि पर जरिऐ पक्का मकान बनाकर नाजायज कब्जा कर अतिकमण किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार, नागौर को पेश की हैं। तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 132/2022 दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुवे दिनांक 10.08.2022 को निर्णय पारित किया हैं। अपीलांट का यह कहना कि उन्हें सुनवाई एवं सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं,पत्रावली के अवलोकन से यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट हैं कि अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद खसरा नम्बर 592/906 की भूमि पर किये गये अतिकमण की भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

2
कलक्टर नागौर

अपीलांट के स्वामित्व की भूमि होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं,जिससे यह स्पष्ट साबित होता हैं कि गैर सायल द्वारा गै0मु0 अंगोर की भूमि पर पक्का मकान बनाकर नाजायज अतिक्रमण किया गया हैं तथा जिसके विरूद्व तहसीलदार,नागौर द्वारा की गई यह कार्यवाही विधिवत हैं एवं तहसीलदार, नागौर के निर्णय दिनांक 10.08.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जेर अपील की पुष्टि की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)